

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2384
दिनांक 13 मार्च, 2025

भारत में इथेनॉल उत्पादन और सम्मिश्रण को बढ़ावा देना

†2384. श्री अनूप संजय धोत्रे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा भारत में विशेष रूप से कृषि अपशिष्ट और शहरी ठोस अपशिष्ट जैसे गैर-खाद्य स्रोतों से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ख) पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की वर्तमान स्थिति और आगामी तीन वर्षों के लिए वर्षवार लक्ष्य क्या हैं;
- (ग) सरकार किन मानदंडों के आधार पर 2जी और 3जी इथेनॉल प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन कर रही है और इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;
- (घ) सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण, परिवहन और भंडारण मुद्दों सहित इथेनॉल उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ङ.) सरकार भारत में इथेनॉल उत्पादन और मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों, तेल विपणन कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ किन मानदंडों के आधार पर समन्वय कर रही है; और
- (च) भारत की ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और किसानों की आय पर इथेनॉल मिश्रण में वृद्धि का अनुमानित प्रभाव क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सरकार ने वर्ष 2014 से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के निमित्त विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एथेनॉल उत्पादन हेतु फीडस्टॉक का विस्तार करना, एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी की दर कम करके 5% करना, एथेनॉल की अंतर्राज्यीय और अंतर-राज्य ढुलाई को सुव्यवस्थित करने हेतु उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम में संशोधन करना, शीरे के साथ-साथ खाद्यान्न से एथेनॉल उत्पादन के लिए वर्ष 2018-22 के दौरान विभिन्न ब्याज अनुदान योजनाओं (ईआईएसएस) को आरंभ करना, समर्थित एथेनॉल संयंत्रों के साथ ओएमसीज द्वारा दीर्घकालिक उठान करार (एलटीओएज) पर हस्ताक्षर करना, देश में लिग्नोसेल्युलोजिक जैवमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके उन्नत जैवईंधनों की परियोजनाओं की स्थापना करने के निमित्त एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव-ईंधन – वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" 2019, वर्ष 2024 में यथासंशोधित, को अधिसूचित करना, शामिल है।

(ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने ईएसवाई 2023-24 में 14.60% तथा ईएसवाई 2024-25 में दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक 17.98% का पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फरवरी, 2025 माह के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज द्वारा 19.68% एथेनॉल मिश्रण का

लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। राष्ट्रीय जैवईंधन नीति में अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2030 से घटाकर वर्ष 2025-26 कर दिया गया। भारत में एथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप, 2020-25” में भारत में वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं।

(ग): दूसरी पीढ़ी (2जी) और तीसरी पीढ़ी (3जी) संयंत्रों सहित एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों को प्राथमिक तौर पर उद्यमियों/कम्पनियों/सहकारी समितियों आदि द्वारा उनके निवेश योजनाओं के अनुरूप तकनीकी आर्थिक व्यावहार्यता के आधार पर स्थापित किया जाता है। पीएम जी-वन योजना के अन्तर्गत, 2जी और 3जी एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यावहार्यता के साथ-साथ तकनीकी के विकास और इसे अपनाने के लिए आरएण्डडी को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए प्रति परियोजना और प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए प्रति परियोजना अधिकतम वित्तीय सहायता की व्यवस्था है।

(घ): सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत एथेनॉल अधिप्राप्ति के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था आरम्भ की है। “एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत दीर्घ अवधि आधार पर एथेनॉल अधिप्राप्ति की नीति” के अनुसरण में कच्ची सामग्रियों के आधार पर गन्ना से प्राप्त एथेनॉल के एक्स मिल मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा और अधिशेष खाद्यान्न से प्राप्त एथेनॉल के एक्स मिल मूल्य की घोषणा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, ओएमसीज ने एथेनॉल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बहुविधि परिवहन को अपनाया है और एथेनॉल के उच्चतर मिश्रण के रखरखाव के लिए अन्य सहायक अवसंरचना के साथ एथेनॉल भंडारण क्षमता भी बढ़ा रहे हैं।

(ङ) और (च): राष्ट्रीय जैवईंधन नीति – 2018 में जैवईंधनों के समेकित प्रभावों के सम्बन्ध में मंत्रालयों/विभागों/राज्यों सहित सभी हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें समग्र समन्वय, अंतिम छोर तक प्रभावी क्रियान्वयन और जैवईंधन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण के निमित्त संस्थागत तंत्र प्रदान किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारें एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं। ईबीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2014-15 से जनवरी, 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के फलस्वरूप लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी विनिमय की बचत हुई है, शुद्ध सीओ₂ में लगभग 626 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई है और किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का शीघ्र भुगतान किया गया है।
